बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/SBPDCL–03/2019 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत 207.924 करोड़ (दो सौ सात करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रूपये भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 103.962 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ छियानवे लाख बीस हजार) रूपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डि0 कं0 लि0 को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्र छोड़ कर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में वितरण एवं उप–संचरण संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग, सरकारी भवनों में सोलर पैनल का अधिष्ठापन एवं ए0टी0 एण्ड सी0 हानि में उत्तरोतर कमी करने हेतु नोडल एजेन्सी पी0एफ0सी0 द्वारा 1042.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1042.50 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी पी0एफ0सी0 के माध्यम से अनुदान, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (104.25 करोड़ रूपये) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2461 दिनांक–24.08.2015 द्वारा प्रदान की गई। पुनः विभागीय राज्यादेश संख्या–2466 दिनांक– 04.10.2018 द्वारा इस योजना के लिए 1093.92 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. पूर्व में वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्र होने के कारण भागलपुर, गया एवं बोधगया शहर आई0पी0डी0एस0 योजना के अंग नहीं थे। वर्त्तमान में यहाँ वितरण फ्रेंचाईजी का एकरारनामा रद्द किया जा चुका है। आई0पी0डी0एस0 योजना के कार्यान्वयन हेतु भागलपुर, गया, बोधगया एवं आरा शहर के लिए 409.71 करोड़ रूपये का डी0पी0आर0 पी0एफ0सी0 को समर्पित किया गया। उपलब्ध राशि के अनुरूप सिर्फ भागलपुर, गया एवं बोधगया शहर का 346.54 करोड़ रूपये की संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। इस योजना की स्वीकृति हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रूपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत 207.924 करोड़ (दो सौ सात करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रूपये भारत सरकार द्वारा अनुदान 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 103.962 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ छियानवे लाख बीस हजार) रूपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डि0 कं0 लि0 को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, बजट मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0–10, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं अगले वित्तीय वर्ष में उपबंध राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–03/2019 के पृष्ठ संख्या–09/टि0 पर दिनांक–18.02.2019 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0 प्र0/SBPDCL–03/2019 पृष्ठ संख्या–12/टि0 पर दिनांक–22.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0/SBPDCL–03/2019 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0/SBPDCL–03/2019 – 556 /पटना, दिनांक– 25/02/2019

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।